

30-37 वकील उग्रपक्ष उपस्थित है। वास्तु
क्रायमी तनकी व अदायगी हजा पत्रावली दि०
3-57 को पेश है।

(3)

35-1) पत्रावली पेश हुई वकील उग्रपक्ष
उपस्थित वास्तु कर्मचारी राजस्व लोक अदालत
कैम्प खेडावाढ रामगढ पर पत्रावली 5-617
को पेश है। पत्रावली को नोटिस जारी
किया जावे।

1878-81

(3)

5-617 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प
खेडावाढ रामगढ पर पेश हुई। वादी गंगाधर प्रतिवादी
प्रेमराज, रामसिलाडी उपस्थित है। पत्रकारों ने
राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि विवादित
भूमि ख० नं० 355 ^{1.59} ग्राम रामगढ मुराडा में प्रतिवादी गण
वादी को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेगा
तथा वादी प्रतिवादी गण के उक्त खसरा नम्बर में बने
घुस भकान, कुए आदि निर्माण में किसी प्रकार
की बाधा उत्पन्न नही करेगा। यदि प्रतिवादी की
कोई भूमि ख० नं० 355 में निकलती है तो
प्रतिवादी उसके लिए दावा लाने को स्वतंत्र है।

गंगाधर
रामसिलाडी
प्रेमराज

प्रस्तुत राजीनामा पर पत्रकारों को सुना
गया। राजीनामा अनुसार पत्रकारान मुकदमे का
निर्णय करने पर सहमत है। अतः दावा वादी
~~उपस्थित~~ पत्रकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार
डिक्री किया जाना है। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दारिखत दफ्तर
हो।

Ganesh Kumar

(सतीश कुमार शर्मा)

बडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(3)

(बालू लाल जाट)

अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
एवं
उप निवा कलेक्टर
गंगापुर सिटी

(अनुच्छेद 20 के अन्वये 6 और 7)
 न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) खेडाबाढ रामगढ
 पीठासीन अधिकारी:- बाबूलाल जाट, आर.ए.एस.

उनवान
 गंगाधर पुत्र ओंकार, मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर सिटी
 बनाम

—वादी

प्रेमराज पुत्र लालचंद, मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर सिटी
 रामखिलाडी पुत्र लालचंद मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर सिटी
 मुनेश पुत्र रामखिलाडी मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर सिटी
 मनकेश पुत्र रामखिलाडी मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर सिटी
 विजय पुत्र प्रेमराज मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर सिटी
 उगन्ती पत्नी प्रेमराज मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर सिटी
 फोरन्ती पत्नी रामखिलाडी मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

क्रमा नं. — 24/2010

वादी की ओर से वादी गंगाधर की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी रामखिलाडी प्रेमराज उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 5.6.2017 को बाबूलाल जाट (पीठासीन अधिकारी) के अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी का वाद राजीनामा के त्तार डिक्री किया जाता है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना न करेगे।

यह आज तारीख 5.6.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



53
 बाबूलाल जाट
 उपखंड अधिकारी
 गंगापुर सिटी
 कलेक्टर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प दर्शों के लिए स्टाम्परूपये पर प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय मिशनर की फीस आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिशनर की फीस	
जोड		जोड	

यह कि आराजी ख0नं0 355 रकवा 1.59 हैक्टेयर स्थित ग्राम रामगढ

शा० र०

3

5-6-2017

उप जिला कलेक्टर

गंगापुर सिटी

न्यायालय उप खंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

प्रपत्र-1

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

आवेदन पत्र

कैम्प कोर्ट का स्थान खेडाका, गंगापुर

नम्बर मुकदमा..... 24/16

उनवान मुकदमा..... कैम्प गंगापुर

बनाम

प्रेमराज वर्मा

विषय : लोक अदालत की भावना से प्रकरण मे राजीनामा करने हेतु।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में वादी/प्रार्थी/अपीलार्थी/ प्रतिवादी/प्रत्यर्थी/रेस्पोंडेन्ट है तथा उक्त प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा/समझौता करना चाहता है।

अतः कृपया उक्त प्रकरण अनुसारतः निस्तारित करने की कृपा करे।

प्रार्थी

स्थान..... खेडाका, गंगापुर

दिनांक..... 5/6/17

गंगापुर

प्रेमराज

रामप्रसाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर,
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- राजगढ़

राजीनामा प्रपत्र

उपखण्ड पीठासीन अधिकारी महोदय,
राजगढ़
गंगाधर

दिनांक 5/6/17

बनाम प्रेमराज वाठो

अन्तर्गत धारा 188 R.T. Act

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री गंगाधर
है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो
गई अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।
इसलिए आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

1-59 ई.0 ग्राम - राजगढ़, पुराडा में प्रमाणित/राजगढ़ कोर्ट में
मो. नं. 2/10/17 कोर्ट में प्रमाणित/राजगढ़ कोर्ट में
मो. नं. 3/10/17 कोर्ट में प्रमाणित/राजगढ़ कोर्ट में
मो. नं. 4/10/17 कोर्ट में प्रमाणित/राजगढ़ कोर्ट में
मो. नं. 5/10/17 कोर्ट में प्रमाणित/राजगढ़ कोर्ट में
मो. नं. 6/10/17 कोर्ट में प्रमाणित/राजगढ़ कोर्ट में
मो. नं. 7/10/17 कोर्ट में प्रमाणित/राजगढ़ कोर्ट में
मो. नं. 8/10/17 कोर्ट में प्रमाणित/राजगढ़ कोर्ट में
मो. नं. 9/10/17 कोर्ट में प्रमाणित/राजगढ़ कोर्ट में
मो. नं. 10/10/17 कोर्ट में प्रमाणित/राजगढ़ कोर्ट में

इस श्रमण से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमे का निस्तारण करने की कृपा करें।

- 1. गंगाधर
- 2. _____
- 3. _____
- 4. Sherma

- प्रतिवादी पक्ष 1. राजीव लाल
- 2. _____
- 3. प्रेमराज
- 4. _____

प्रार्थी के हस्ताक्षर
नाम _____

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर _____
(प्रतिवादी पक्ष) नाम _____

प्रार्थी/वादी गंगाधर एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी राजीव लाल ; प्रेमराज
द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना
जायगा। अतः राजीनामा हस्तख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(सतीश कुमार शर्मा)
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

(बिन्नु लाल शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी